

Member of Parliament Local Area Development Scheme



भारत सरकार
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
सरदार पटेल भवन, नई दिल्ली -110001

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF STATISTICS & PROGRAMME IMPLEMENTATION
SARDAR PATEL BHAVAN, NEW DELHI-110001

FAX : 23364197
E-mail : mplads@nic.in

Dated **1st June, 2010**

No. C/16/2009-MPLADS

To

The Secretaries,
Nodal Departments of MPLADS (All States/UTs).

**Subject: Distribution of unspent balances of former Rajya Sabha
MPs - Regarding.**

The distribution of unspent balance i.e. the balance of funds/savings that accrue after completion of all the committed works, (recommendations which are eligible as per Guidelines, within the entitlement and received in the office of the District Authority before the last date of the tenure of the MP, and which have been sanctioned) of former Rajya Sabha MPs is laid down in Para 4.8, 4.9 and 4.12 of the MPLADS Guidelines. The issues relating to the distribution of unspent balance is also repeatedly clarified during training workshops, review meetings etc. In spite of this, some of the Rajya Sabha MPs have pointed out to this Ministry that the unspent balance of former Rajya Sabha Members have not been distributed to their accounts.

2. In this regard the following instructions are reiterated:-

- (i) **The unspent balance of former elected Members of Rajya Sabha in a particular State will be equally distributed by the State Government among the successor elected Rajya Sabha Members in that State.**

e.g. if three Rajya Sabha Members A,B,C retire from a State and three Members D,E,F are elected in their place, then the unspent balance in respect of A,B and C reported by their respective nodal districts should be added up and distributed equally to the MPLADS accounts of D,E and F. However, if an MP say K, is re-elected, then he will be his

own successor and the unspent balance of A,B,C would not be distributed to K.

- (ii) **If the term of an elected Rajya Sabha MP is terminated within his tenure (due to death, resignation etc.) and a vacancy is caused, a successor MP is elected for the remaining period in his place for the remainder of the term, so that the total term of both the MPs remains six years. As a single successor is clearly identified, the unspent/unreleased amount of the earlier MP is to be automatically passed on to the successor MP and is not to be distributed among other MPs.**
- (iii) **If any unspent balance of any former Rajya Sabha Member(s) from 1993-94 onwards is reported from some district(s), which has not been distributed and a clear successor for the funds is not able to identified, then the unspent balance will be distributed among all the current Rajya Sabha Members of the State.**


e.g. if there are five Rajya Sabha Members currently in a State, say D,E,F (newly elected), K (re-elected) and G (who is in the middle of his term), and an unspent balance of say Rs. 2 lakh of a Rajya Sabha Member pertaining to the year 2004 is reported by a district now, then the unspent balance of Rs. 2 lakh should be equally distributed among all the current sitting Members D,E,F,K and G.

- (iv) **To unearth and distribute such undistributed unspent balances from the past, the State Governments should conduct a review with all the districts on a particular day, such as 1st September or 1st January, every year.**
- (v) **Similarly the unspent balance after completion of all recommended and sanctioned works in respect of Nominated Rajya Sabha Members should be reported by their respective nodal districts to the Ministry, which will examine and give appropriate instructions for their distribution.**
- (vi) **The distribution of uncommitted balance (i.e. the balance of funds available in the account of the**

concerned former Rajya Sabha MP(s) not committed for their recommendations), will also be distributed on the same pattern as delineated in para 2(i), 2(ii) & 2(iii), as the case may be. The State Government should conduct a review of the uncommitted balance whenever Rajya Sabha MPs demit office/retire and successor MPs are elected within a period of three months. They may also review the position while conducting review of the unspent balances along with all the districts while reviewing the unspent balance.

After the completion of all the eligible recommended works of the former Rajya Sabha MP(s), the unspent balance/savings, if available, should be reported by the concerned Nodal Districts to the State Nodal Departments, who would distribute the unspent balance/savings to the successor Rajya Sabha Member(s) as delineated in para 2(i), 2(ii) & 2(iii) above.

Yours faithfully,



(Dharam Pal)

Deputy Secretary to the Govt. of India
Tel.011-23364193

Copy for information to:

- (i) The Commissioners, Corporation of Kolkatta/Chennai/Delhi, Districts Collectors/District Magistrates/Deputy Commissioners of Nodal Districts.
- (ii) The Director, Rajya Sabha Committee on MPLADS, Rajya Sabha Secretariat, New Delhi.
- (iii) The Director, Lok Sabha Committee on MPLADS, Lok Sabha Secretariat, New Delhi.

Member of Parliament Local Area Development Scheme



भारत सरकार
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
सरदार पटेल भवन, नई दिल्ली-110001
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF STATISTICS & PROGRAMME IMPLEMENTATION
SARDAR PATEL BHAWAN, NEW DELHI-110001
FAX : 23364197
E-mail : mplads@nic.in

सं. सी/16/2009-एमपीलैड्स

Dated1 जून, 2010

सेवा में

सचिव,

एमपीलैड्स से संबंधित नोडल विभाग (सभी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र) ।

विषय:- राज्य सभा के पूर्व-सांसदों के अव्ययित शेष का वितरण ।

राज्य सभा के पूर्व-सांसदों के अव्ययित शेष अर्थात् सभी प्रतिबद्ध कार्यों (अनुशंसाएं जो दिशानिर्देशों के अनुसार पात्र हैं, पात्रता की सीमा के भीतर हैं तथा सांसद के कार्यकाल की आखिरी तारीख से पहले जिला प्राधिकारी के कार्यालय में प्राप्त हुई हैं, और जिन्हें मंजूर कर दिया गया है) के पूरा होने के बाद प्रोद्भूत निधि/बचत के शेष के वितरण का एमपीलैड्स दिशानिर्देशों के पैरा 4.8, 4.9 तथा 4.12 में उल्लेख किया गया है । अव्ययित शेष के वितरण से संबंधित मुद्दों को प्रशिक्षण कार्यशालाओं, समीक्षा बैठकों आदि में भी बार-बार स्पष्ट किया गया है । इसके बावजूद, राज्य सभा के कुछ सांसदों ने इस मंत्रालय को बताया है कि राज्य सभा के पूर्व-सांसदों का अव्ययित शेष उनके खातों में वितरित नहीं किया गया है ।

2. इस संबंध में निम्नलिखित अनुदेशों को दोहराया जाता है:-

(i) किसी राज्य विशेष में राज्य सभा के पूर्व निर्वाचित सदस्यों के अव्ययित शेष को राज्य सरकार द्वारा उस राज्य के उत्तरवर्ती निर्वाचित राज्य सभा सदस्यों के बीच बराबर-बराबर बांटा जाएगा ।

उदाहरण के लिए यदि किसी राज्य से 'ए', 'बी', 'सी' तीन राज्य सभा सदस्य रिटायर होते हैं और उनके स्थान पर तीन सदस्य 'डी', 'ई', 'एफ' निर्वाचित होते हैं, तो 'ए', 'बी' और 'सी' के संबंध में, उनके संबंधित नोडल जिलों द्वारा सूचित किए गए अव्ययित शेष को जोड़ा जाएगा तथा 'डी', 'ई' और 'एफ' के एमपीलैड्स खातों में बराबर-बराबर वितरित किया जाएगा । तथापि, यदि कोई सांसद जैसे 'के' पुनः निर्वाचित होता है, तो वह अपना उत्तरवर्ती स्वयं होगा तथा 'ए', 'बी', 'सी' का अव्ययित शेष 'के' को वितरित नहीं किया जाएगा ।

(ii) यदि किसी निर्वाचित राज्य सभा सांसद की कार्यावधि उसके कार्यकाल के भीतर (मृत्यु, त्यागपत्र आदि के कारण) समाप्त हो जाती है और स्थान रिक्त हो जाता है, शेष कार्यकाल के लिए उसके स्थान पर शेष कार्यावधि के लिए एक उत्तरवर्ती सांसद निर्वाचित होता है, ताकि दोनों सांसदों की कुल कार्यावधि छह वर्ष हो जाए। चूंकि, एक अकेला उत्तरवर्ती स्पष्टतया अभिचिह्नित होता है, इसलिए पूर्व-सांसद की अव्ययित/जारी न की गई राशि उत्तरवर्ती सांसद को स्वतः अंतरित की जानी है तथा इसे अन्य सांसदों के बीच वितरित नहीं किया जाना है।

(iii) यदि 1993-94 से किसी जिले (जिलों) से राज्य सभा के किसी पूर्व-सदस्य(सदस्यों) के किसी अव्ययित शेष की सूचना मिलती है, जिसका वितरण नहीं किया गया है तथा निधि के लिए किसी स्पष्ट उत्तरवर्ती की पहचान नहीं हो सकती है, तो अव्ययित शेष राज्य के सभी वर्तमान राज्य सभा सदस्यों के बीच वितरित किया जाएगा।

उदाहरण के लिए, यदि किसी राज्य में इस समय राज्य सभा के पांच सदस्य हैं, जैसे "डी", "ई", "एफ" (नव निर्वाचित), "के" (पुनःनिर्वाचित) और "जी" (जिनका कार्यकाल चल रहा है), और अब किसी जिले ने किसी राज्य सभा सदस्य के वर्ष 2004 के किसी अव्ययित शेष जैसे 2 लाख रु. की सूचना दी है, तो 2 लाख रु. का अव्ययित शेष सभी वर्तमान सदस्यों "डी", "ई", "एफ", "के" और "जी" के बीच बराबर-बराबर बांटा जाएगा।


(iv) पहले के ऐसे अवितरित अव्ययित शेष का पता लगाने और उसे वितरित करने के लिए, राज्य सरकारें किसी विशिष्ट दिन जैसे प्रत्येक वर्ष 1 सितम्बर या 1 जनवरी को सभी जिलों के साथ एक समीक्षा करें।

(v) इसी प्रकार, मनोनीत राज्य सभा सांसदों के संबंध में, सभी अनुशासित तथा स्वीकृत कार्यों के पूरा होने के बाद, उनके संबंधित नोडल जिलों द्वारा अव्ययित शेष की सूचना मंत्रालय को दी जाएगी, जो उसकी जांच करेगा तथा उसके वितरण के लिए उचित निदेश देगा।

(vi) अप्रतिबद्ध शेष (अर्थात् संबंधित पूर्व राज्य सभा सांसद (सांसदों) के खाते में उपलब्ध निधि का शेष जो उनकी अनुशासकों के लिए प्रतिबद्ध नहीं है) का वितरण भी उसी ढंग से किया जाएगा जैसा पैरा 2(i), 2(ii) और 2(iii) में उल्लेख किया गया है, जैसा भी मामला हो। जब कभी राज्य सभा सांसद पद छोड़ते/रिटायर होते हैं और उत्तरवर्ती सांसद तीन महीने की अवधि के भीतर निर्वाचित होते हैं, तो राज्य सरकार को अप्रतिबद्ध शेष की समीक्षा करनी चाहिए। अव्ययित शेष की समीक्षा करते समय सभी जिलों के साथ अव्ययित शेष की समीक्षा करते हुए वे स्थिति की समीक्षा भी करें।

राज्य सभा के पूर्व-सांसद(सांसदों) के सभी पात्र अनुशंसित कार्यों के पूरा होने के बाद, यदि अव्ययित शेष/बचत उपलब्ध हो, तो संबंधित नोडल जिलों द्वारा उसकी सूचना राज्य नोडल विभागों को दी जाएगी, जो उत्तरवर्ती राज्य सभा सदस्य(सदस्यों) को अव्ययित शेष/बचत का वितरण करेंगे, जैसा उपर्युक्त पैरा 2(i), 2(ii) और 2(iii) में उल्लेख किया गया है ।

भवदीय,



(धर्म पाल)

उप सचिव, भारत सरकार
टेलीफोन नं. 011-23364193

प्रतिलिपि सूचनार्थः

- (i) आयुक्त, कोलकाता/चेन्नई/दिल्ली नगर निगम,
नोडल जिलों के जिला कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट/उपायुक्त ।
- (ii) निदेशक, एमपीलैड्स संबंधी राज्य सभा समिति, राज्य सभा सचिवालय, नई दिल्ली ।
- (iii) निदेशक, एमपीलैड्स संबंधी लोक सभा समिति, लोक सभा सचिवालय, नई दिल्ली ।